भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 11

दिनांक 02 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

वंचित महिलाओं और बच्चों हेतु योजनाएं/कार्यक्रम

11. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या सरकार ने 'सामर्थ्य' योजना के तहत संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), उज्ज्वला, स्वाधार गृह (शक्ति सदन) कामकाजी महिला छात्रावास (सखी निवास) और राष्ट्रीय क्रेच योजना का लाभ मध्य प्रदेश राज्य विशेषकर पन्ना, कटनी और छतरपुर जिलों को दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन योजनाओं के तहत अजा, अजजा और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की महिलाओं और बच्चों की विशेष जरूरतों को देखते हुए उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत, 2017-18 में इस योजना की शुरुआत से 29.01.2024 तक 3.78 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को नामांकित किया गया है। इसके अलावा, उपर्युक्त अवधि के दौरान 329 करोड़ से अधिक लाभाथयों को 14,75887 करोड़ रुपये से अधिक के मातृत्व लाभ संवितरित किए गए हैं।

वर्ष 2017-18 में योजना की शुरुआत से 29.01.2024 तक मध्य प्रदेश में पीएमएमवीवाई के तहत 39.53 लाख से अधिक लाभार्थियों का नामांकन किया गया है। इसके अलावा, उपर्युक्त अवधि के दौरान 35.92 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1,61540 करोड़ रुपए से अधिक के मातृत्व लाभ

संवितरित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना, कटनी और छतरपुर जिलों में पीएमएमवीवाई के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:-

जिला	नामांकित लाभार्थियों की संख्या	मातृत्व लाभ प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या	संवितरित कुल राशि (करोड़ रुपये में)
पन्ना	56,514	52,459	23.43
कटनी	69,538	62,427	27.88
छतरपुर	1,01,514	92,882	71.74

पीएमएमवीवाई का लक्ष्य समूह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं सहित समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (पीडब्लू और एलएम) हैं। निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित पीडब्लू और एलएम भी पीएमएमवीवाई के अंतर्गत आते हैं:

i. जो महिलाएं आंशिक रूप से (40%) या पूर्ण रूप से विकलांग हैं (दिव्यांग जन)
ii. बीपीएल राशन कार्ड धारक महिला
iii. आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत महिला लाभार्थी।
iv. ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं
v. महिला किसान जो किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थी हैं
vi. मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं
vii. वे महिलाएं जिनकी कुल पारिवारिक आय 8 लाख रूपए प्रति वर्ष से कम है
viii. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/आंगनवाड़ी सहायिकाएं/ आशा
ix. एनएफएसए अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड धारक महिलाएं

शक्ति सदन : समग्र मिशन शक्ति के अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए स्वधार गृह और दुर्व्यापार निवारण हेतु उज्ज्वला गृह का विलय कर दिया गया है और इसे शक्ति सदन के नाम से जाना जाता है, यह एक मांग आधारित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसके अंतर्गत इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सीधे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त परिस्थियों में रहने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण का निर्माण करना है ताकि वे कठिन परिस्थितियों से उबर सकें।

सखी निवास : समग्र मिशन शक्ति के तहत सखी निवास स्कीम (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी आवश्यकता का आकलन करते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श के

पश्चात कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा प्रस्तावों को अनुमोदित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिए शहरी,अर्ध-शहरी अथवा ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों,जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर विद्यमान हैं,में उनके बच्चों के लिए डे-केयर देखभाल सुविधा सहित सुरक्षित एवं सुविधाजनक रूप से स्थित आवासों की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत किराए के परिसर में सखी निवास संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश के पन्ना, कटनी और छतरपुर जिले में कोई भी शक्ति सदन और सखी निवास क्रियाशील नहीं है।

कामकाजी माताओं द्वारा अपने बच्चों को उचित बाल देखभाल और संरक्षण देने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पालना घटक के माध्यम से डे-केयर क्रेच सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों को डे-केयर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 01 अप्रैल,2022 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्रियान्वित मिशन शक्ति के तहत पालना उप-योजना शुरू की है। पालना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें इस योजना की दिन-प्रतिदिन की निगरानी और उचित कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

आंगनवाड़ी केंद्र अंतिम बिंदु तक देखभाल सुविधाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को आवश्यक देखभाल एवं सहायता प्रदान करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा विशेष बाल देखभाल संस्थान हैं। एक अनोखे दृष्टिकोण के रूप में, मंत्रालय ने आंगनवाड़ी सह शिशु गृह (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से शिशु देखभाल की सेवाओं का विस्तार किया है। यह पूरे दिन शिशु देखभाल सहायता सुनिश्चित करेगा और संरक्षित एवं सुरक्षित वातावरण में उनकी भलाई सुनिश्चित करेगा। आंगनवाड़ी सह क्रेच पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना है। पालना घटक का उद्देश्य बच्चों (6माह से 6 वर्ष की आयु तक) के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा, पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना, बच्चों का स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास करना, विकास की निगरानी, टीकाकरण करना, शिक्षा देना इत्यादि है।

शिशुगृहों की स्थापना और संचालन के लिए प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त होते हैं जो इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अपना तदनुरूपी अंशदान करने के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। 15वें वित्त चक्र के दौरान कुल 17,000 आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है, जिनमें से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार **अब तक 5631 आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित** किए जा चुके हैं। इनमें से 448 आंगनवाड़ी केंद मध्य प्रदेश राज्य के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

****